संख्या- 99/2019/2850/71-1-2019-जी-55/2018

प्रेषक

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनॉक 11 नवम्बर, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु मानक मद-57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/307, दिनॉक 23-09-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में मानक मद-01-वेतन मद में रू0 45,59,000/- (रू0 पैतालिस लाख उनसठ हजार मात्र) की बचत को मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में मानक मद-57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता में रू0 45,59,000/- (रू0 पैतालिस लाख उनसठ हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

4- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर लिया जायेगा।

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1393/दस-2019, दिनॉक 31 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

( अमित सिंह बंसल )
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 99/2019/2850(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
3- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( एस0 पी0 सिंह )
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण | | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | प्रपत्र–बी0एम0–9 | (रू0 लाख में) |
| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व | आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत | संकमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी– 03–शिक्षा–24–राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ | | | | | |
| 01–वेतन | 4158.36 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | 4112.77 |
| | | | | | |
| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि | संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी– 03–शिक्षा–24–राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ | | | | | |
| 57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता | 25.00 | 70.59 | 45.59 | 45.59 | 70.59 |
| 1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :– | | | | | |
| प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ने अपने पत्र संख्या–619/रा0मे0का0आ0/बजट/2019/20 दिनांक 21.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मेडिकल कालेज, आजमगढ में मानक मद–01–वेतन में रू0 45.59 लाख की बचत से अवगत कराया गया है। | | | | | |
| 2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :– | | | | | |
| प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ ने अपने पत्र संख्या–619/रा0मे0का0आ0/बजट/2019/20 दिनांक 21.08.2019 द्वारा मानक मद–57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता में रू0 45.59 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता से अवगत कराया है जिस हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। | | | | | |
| 3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है। | | | | | |

संख्या– 154/ई-3-1393/2019 दि0 05/11/2019

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

( पवित्र कुमार )
उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या– 99/2019/285/71–1–2019–जी–55/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, आजमगढ़।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

( एस0 पी0 सिंह ),
अनु सचिव

Anu S.P.M